

O/o THE CHIEF ELECTORAL OFFICER OLD ST. STEPHEN'S COLLEGE BUILDING, KASHMERE GATE: DELHI-110006

No.:CEO/COE/LS-2019/102(92)/Instructions/2018/30881-92

Dated: 2910-18

To,

All District Election Officer of all 11 Districts.

Sub: Uploading of day to day Accounts Register of Candidates on the website of Chief Electoral Officer/District Election Officers - Regarding.

Madeum Sir

I am directed to forward herewith a copy of letter received from the Under Secretary, Election Commission of India, Nirvachan Sadan, Ashok Road, New Delhi-110001 vide their office letter No.76/ECI/Anudesh/Prakarya/EEM/EEPS/2018/Volume-XIII dated 01/10/2018 on the subject noted above for information and strict compliance at your end.

Encl: As above.

Yours faithfully,

(CHARANJIT SĬNGH) ELECTION OFFICER (COE)

No.:CEO/COE/LS-2019/Instructions/30881-92

Dated: 29-10-18

Copy to the :-

1) The Senior System Analyst, O/o the CEO, Delhi, Kashmere Gate, Delhi-110006 with the request to upload the same on the website of the CEO, Delhi.

(CHARANJIT SINGH) ELECTION OFFICER (COE)

0/0

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 76/ईसीआई/अनुदेश/प्रकार्या/ईईएम/ईईपीएस/2018/वाल्यूम-XIII

दिनांक: 01 अक्तूबर, 2018

सेवा में

सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषय: मुख्य निर्वाचन अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों के दिन-प्रतिदिन के लेखे रजिस्टर को अपलोड करना-तत्संबंधी।

महोदया/महोदय,

मुझे आयोग के दिनांक 25 अक्तूबर, 2013 के पत्र सं. 76/अनुदेश/2013/ईईपीएस/वाल्यूम VIII, (प्रति संलग्न) [अनुबंध-सी5, निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण पर अनुदेशों का सार-संग्रह (अक्तूबर, 2017)] में निर्धारित अनुदेश की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने तथा यह दोहराने का निदेश ह्आ है कि निर्वाचन अविध के दौरान प्रत्येक निरीक्षण के पश्चात, अश्यर्थी के दिन-प्रतिदिन के लेखे रिजिस्टर की जांच निरीक्षण की तारीख तक की जाएगी और इसे जिला निर्वाचन अधिकारी के पोर्टल तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर अपलोड किया जाएगा और इसके अलावा, निरीक्षित रजिस्टर की एक फोटो प्रति नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित की जाएगी।

आपसे अनुरोध है कि निर्वाचनों के दौरान आवश्यक कार्रवाई हेत् इसे सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और रिटर्निंग अधिकारियों के संज्ञान में लाएं।

(राजन जैन) अवर सचिव